

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर जोधपुर
राजस्व अपील संख्या 119/2022
अनवान मफाजी बनाम सोना वगैरा

14.08.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर शर्मा ने दिनांक 24.07.2023 को प्रार्थना पत्र बाबत अपील जरिये विद्रोल करने का प्रस्तुत किया गया, जिस पर रेस्पोंड सं० 1 से 6 के अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा (केवीयटर) द्वारा नो-आब्जेक्शन अंकित है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने से अपीलार्थी उक्त अपील को आगे चलाना नहीं चाहता है। अतः उक्त अपील जरिये विद्रो निस्तारित फरमावे। अपीलार्थी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर की पहचान उनके अधिवक्ता श्री दिनेश विश्णोई द्वारा की गई।

अतः वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट की उक्त अपील जरिये विद्रोल खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे व अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(भंवर लाल मेहरा)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर